(ग) मध्य प्रदेश में कोयले की मांग को पूरा करने हेतु इसकी आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, हां । मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों को साफ्ट कोक की आपूर्ति किए जाने के मामले में कमी रही है । मध्य प्रदेश राज्य के साफ्ट कोक के 4,000 टन के मासिक आवंटन की तुलना में अप्रैल, 1992 से फरवरी, 1993 के दौरान तक मध्य प्रदेश राज्य को तकरीबन 1370 टन (अंतिम) साफ्ट कोक कोयले की आपूर्ति की गई है । मध्य प्रदेश को साफ्ट कोक की आपूर्ति में कमी का कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों से साफ्ट कोक के उत्पादन में गिरावट आई है चूंकि इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया प्रदूषण के खतरों से मुक्त नहीं है ।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य को कोयला आधारित घरेलू ईंधन की आपूर्ति में संवृद्धि किए जाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) मध्य प्रदेश राज्य को साफ्ट कोक के स्थान पर घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए स्टीम कोयले की पेशकश की गई है ।

(2) कोल इंडिया लि. ने ब्रिकेट्स तथा धुंआरहित ईंधन के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश राज्य में ब्रिकेटिंग तथा एस.एस.एफ. इकाइयों के लिए संयोजन दिए हैं । राज्य में घरेलू ईंधन की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को इन इकाइयों के उत्पादन पर निगरानी रखने का अनुरोध किया गया है ।

(3) कलकत्ता के निकट दानकूनी में एक निम्न तापीय कोयला कार्बनीकरण संयंत्र की स्थापना की गई है, जहां "सिलकोक" का उत्पादन किया जाता है । इसका उष्मा क्षमता साफ्ट कोक की तुलना में कहीं अधिक है तथा घरेलू उपयोग के लिए यह एक उपयोगी ईंधन है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्यों में घरेलू उपभोग के लिए "सिलकोक" के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करें ।

कोयले की रायल्टी की राशि में वृद्धि की मांग

3837. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार और अन्य राज्य सरकारें कोयले की रायल्टी की राशि में वृद्धि करने की लगातार मांग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कोयले की रायल्टी के मुद्दे को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मामले को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के परन्तुक के अधीन केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज का तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक बार से अधिक रायल्टी की दरें बढ़ाने से प्रतिबंधित किया गया है । चूंकि कोयले पर रायल्टी की दरों में पिछली बार संशोधन 1-8-1991 को किया गया था, अतः कोयले की रायल्टी पर अगला संशोधन 1-8-1994 के पश्चात ही किया जा सकता है ।

High tech imaging technique for quality control of coal

3838. SMT. KAMLA SINHA : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether Government are aware that National Centre of Knowledge-Based